अब सागवाड़ा में भी मिलेगा लाखो का सोना हज़ारो में

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

सागवाड़ा, 23 जनवरी (का.सं.)। सागवाड़ा शहर के ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी है! आज 23 जनवरी को के बी पैलेस 1 ग्राम जेवेलरी के नए शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ, जो खास तौर पर 1 ग्राम गोल्ड की परत चढ़ी हुयी ज्वेलरी के लिए आज के दौर में काफी लोकप्रिय है। सागवाड़ा तहसील कार्यालय के सामने खोले गए आलीशान शोरूम के बी पैलेस का भव्य उद्घाटन विधायक शंकर लाल डेचा द्वारा किया गया। समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री अशोकजी पटेल, वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री चंदू बापू गामड़ा, श्री बालकृष्णजी पटेल , श्री भोगीलालजी पटेल, श्री लोकेशजी भटेवरा, श्री विद्याशंकर पुरोहित, श्री यज्ञनारायणजी अवं अन्य कई नागरिक उपस्थित रहे। श्री भगवान लालजी, दिनेशजी और महेशजी पटेल द्वारा आगंतुकों का भव्य स्वागत किया गया। महेशजी ने बताया कि के बी पैलेस का लक्ष्य ग्राहकों को वाजिब दामों पर नवीनतम और स्टाइलिश डिजाइन वाले आभूषण प्रदान करना है, जिससे हर कोई खूबसूरत दिख सके।

कन्या धन की शिक्षा सुरक्षा और सम्मान ही वास्तविक देवी अर्चन: आचार्य अशोक दीक्षित

गंगापुर सिटी, मदन मोहन गर्ग। पवित्र गुप्त नवरात्र में चल रही देवी भागवत कथा में आज बसंत पंचमी का वैदिक धार्मिक और सामाजिक महत्व बताया गया। बसंत पंचमी पर कथा पंडाल में सामूहिक कन्या पूजन और कन्या भोज का सामूहिक आयोजन हुआ। मंडल सदस्य कैलाश खंडेलवाल ने बताया कि आज कन्या पूजन का सौभाग्य मिला। देवी भागवत समाज में सनातन संस्कारों की स्थापना हेतु उचित आदर्श और कर्तव्य का मार्गदर्शन करने वाली कथा है। कथा में सैकड़ो की संख्या में श्रद्धालु गण धर्म लाभ ले रहे हैं। पंडाल पूरी तरह भर जाता है बिना नाटकिया के यथार्थवाद पर आधारित मूल कथा कही जा रही है। कथा व्यास आचार्य अशोक दीक्षित ने कहा कि इस धरा पर भगवान भी अवतार लेकर कन्या और नारियों की रक्षा एवं शक्ति आराधना करते हुए समाज को शिक्षित करते हैं। ईश्वर का अवतार ही धर्म की रक्षा और शुभकामनाएं की स्थापना हेतु होता है ।

केकड़ी को बड़ी सौगात, रोडवेज डिपो से पहली बस रवाना

बसंत पंचमी पर विधायक गौतम ने किया केकड़ी रोडवेज डिपो का शुभारंभ, विकास को मिली नई गति

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 23 जनवरी (दीपांकुर चौहान)। केकड़ी में विकास कार्यों के नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और क्षेत्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधि-विधान एवं पूजा-अर्चना के साथ केकड़ी रोडवेज बस डिपो का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान केकड़ी डिपो की प्रथम बस को जयपुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच विधायक गौतम ने चालक एवं परिचालक को तिलक लगाकर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर को विशेष बनाते हुए विधायक ने पहली बस में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की टिकट स्वयं क्रय कर उन्हें नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल केकड़ीवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही विकास की नई राह खोलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विकास को धरातल पर उतारने का कार्य करती है। केकड़ी आज विकास के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का हृदय से आभार व्यक्त किया तथा क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई दी। विधायक गौतम ने बताया कि केकड़ी रोडवेज बस डिपो के लिए 3 करोड़ 72 लाख रुपये की स्वीकृति जारी हो चुकी है, वहीं साढ़े चार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रस्ताव भी भेजा गया है। डिपो का निर्माण अजमेर रोड पर तहसील के समीप किया जा रहा है, जहां चारदीवारी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अन्य निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। डिपो से 80 से अधिक बसों का संचालन प्रस्तावित है, जिनमें से अधिकांश बसों का केकड़ी आगमन प्रारंभ हो चुका है। इससे केकड़ी का सीधा जुड़ाव दिल्ली, उज्जैन, हरिद्वार, अहमदाबाद, रामदेवरा, खाटू श्याम जी सहित प्रमुख शहरों एवं तीर्थ स्थलों से होगा। डिपो परिसर में वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, कार्यालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं के निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। साथ ही केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक रोडवेज बस सेवा का विस्तार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

डॉ सैनी ने गाल व होठ की चमड़ी से पेशाब की नयी नली बनाकर मरीज़ को दिया नया जीवन

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

चौमूं, 23 जनवरी (का.सं.)। शहर के बायपास रोड समोद पुलिया पर स्थित सैनी हॉस्पिटल मल्टीस्पेशियलिटी सेंटर के यूरोलॉजिस्ट डॉ आशुतोष सैनी ने बताया की विराटनगर से एक मरीज़ आए जो काफ़ी दिनों से परेशान थे।उनके पेशाब की नलकी ख़राब होकर लगभग बंद हो गई। मरीज़ ने कई जगह पहले भी इस बीमारी के लिए ऑपरेशन करवाया था। जो की सफल नहीं हुआ था।अत: डॉ सैनी ने बताया कि हमारे लिये ये केस काफ़ी चैलेंजिंगिंग था। हमने गाल व होट की अंदर की चमड़ी लेकर पेशाब की नली को नया बना दिया। ईश्वर की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। आज मरीज़ अच्छे से पेशाब कर पा रहा है।मरीज़ व उसके परिजन इस ऑपरेशन की सफलता से काफ़ी खुश दिखे व डॉ सैनी व उनकी टीम को धन्यवाद दिया।डॉ सैनी ने इस जटिल ऑपरेशन की सफलता के लिए अपनी टीम व हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉ बी एस सैनी,डॉ आशीष,मैनेजिंग डायरेक्टर शंकर को धन्यवाद किया।

पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित ने नवनियुक्त भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की शिष्टाचार भेंट

गंगापुर सिटी, मदन मोहन गर्ग। भारतीय जनता पार्टी सवाई माधोपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित ने नवनियुक्त भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर सुशील दीक्षित ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का सांगानेरी दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया तथा त्रिनेत्र गणेश रणथंभोर की तस्वीर भेंट की। भेंट के दौरान सुशील दीक्षित ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रणथंभोर दर्शन के लिए आमंत्रित किया। साथ ही पूर्वी राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति एवं संगठनात्मक विषयों को लेकर भी चर्चा की गई।

---

kotak
Kotak Mahindra Bank

सार्वजनिक नोटिस

आम जनता को सूचित किया जाता है कि विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (विस्तार) द्वारा श्री शंभू दयाल यादव, श्री राम सहाय यादव, श्रीमती फूलीदेवी और श्री प्रभात राम यादव (दिवंगत) को जयपुर पंजीकरण जिला, जयपुर उप पंजीकरण जिला, शाहपुरा तालुका, मनोहरपुर सर्वे वार्ड 236, 282 तातलान की धानी, गांव मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित संपत्ति के एक हिस्से को गिरवी रखकर ऋण दिया गया था। इसके बाद विस्तार ने दिनांक 25.03.2025 के असाइनमेंट विलेख के माध्यम से उक्त संपत्ति पर सुरक्षा हित सहित उक्त ऋण खाते को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को सौंप दिया। उपरोक्त सह-ऋणकर्ताओं की मृत्यु के बाद, ऋणकर्ताओं ने ऋण खाते का निपटान कर दिया है। ऋण खाते के निपटान के बाद, ऋणकर्ताओं ने ऋण खाते का निपटान कर दिया है। श्री शंभू दयाल यादव (सह-ऋणकर्ता स्वर्गीय प्रभात राम यादव के पुत्र और कानूनी उत्तराधिकारी), सह-ऋणकर्ता श्री राम सहाय यादव, श्रीमती फूलीदेवी और श्रावणी (सह-ऋणकर्ता स्वर्गीय प्रभात राम यादव की पुत्री और कानूनी उत्तराधिकारी) ने अब बैंक से अनुरोध किया है कि उपर्युक्त गिरवी रखी गई संपत्ति के स्वामित्व दस्तावेजों को उनके पक्ष में जारी किया जाए।

यदि किसी का भी उपर्युक्त संपत्ति पर कोई दावा या स्वामित्व हित है, तो वे श्री इंदरजीत बिश्नोई, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (प्रथम मंजिल, डी-2321233, एसडीसी टावर, वैशाली नगर, जयपुर-302021) से संपर्क कर सकते हैं। इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर इसका प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति के स्वामित्व दस्तावेज उधारकर्ता श्री शंभू दयाल यादव (सह-उधारकर्ता स्वर्गीय प्रभात राम यादव के पुत्र और कानूनी उत्तराधिकारी), सह-उधारकर्ताओं श्री राम सहाय यादव, श्रीमती फूलीदेवी और श्रावणी (सह-उधारकर्ता स्वर्गीय प्रभात राम यादव की पुत्री और कानूनी उत्तराधिकारी) को सौंप देगा।

स्थान: राजस्थान, दिनांक: 24.01.2026, अधिकृत अधिकारी: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

---

pnb Housing
Finance Limited

पंजी. ऑफिस: 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन: 011.23357171, 23357172, 23705414, वेब: **www.pnbhousing.com**
शाखा कार्यालय: अन्य बातों के साथ-साथ, भूतल, एस-5, सेक्टर-5, टोंक रोड, प्रताप नगर, जयपुर-302022, राजस्थान
टेलीफोन/मोबाइल नंबर: 18001208800

कब्जे संबंधी सूचना (नियम 8(1) एवं परिशिष्ट-IV के अनुसार अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण अधिनियम के अंतर्गत **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8 (1) के अनुपालन में,** और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लेखित तिथि को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें संबंधित उधारकर्ता/उधारकर्ताओं से नोटिस की तिथि/सूचना की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रत्येक खाते के सामने उल्लेखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया था। उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता/उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 8 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लेखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

ऋण लेने वाले व्यक्तियों और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन ऋण समझौते के अनुसार राशि और उस पर लगने वाले ब्याज सहित पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। **ऋण लेने वालों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।**

ऋण खाता संख्या(ओं)	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/कानूनी वारिस का नाम	मांग नोटिस की तिथि	मांग सूचना में आज की तिथि तक राशि	कब्ज़ा लेने की तिथि/ कब्ज़े का प्रकार	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
HOU/RTNK/ 1124/5104841 बी.ओ. जयपुर	श्री/श्रीमती भगवान सहाय (उधारकर्ता) एवं श्री/श्रीमती जितेश महावर (सह-उधारकर्ता) और श्री/श्रीमती ममता कोली (सह-उधारकर्ता)	07.11.2025	रूपये 10,09,052.00 (दस लाख नौ हजार बावन रूपये मात्र)	20-01-2026 (सांकेतिक)	वह सब उस चीज़ का हिस्सा है आवासीय, 32, आनंद विहार कॉलोनी, एनएच 12 के पास, टोंक, टोंक, टोंक, टोंक, टोंक, राजस्थान, भारत, 304001, वर्तमान खसरा क्रमांक 7396/6339

दिनांक : 24.01.2026, स्थान: जयपुर, राजस्थान एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

---

pnb Housing
Finance Limited

पंजी. ऑफिस: 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन: 011.23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईट: **www.pnbhousing.com**
ब्रांच ऑफिस: पहली मंजिल विजय टावर, पुराने सरकारी अस्पताल के सामने नागौर राजस्थान-341301

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित, आज की तिथि तक संशोधित

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे इसके बाद "PNBHFL" कहा जाएगा) ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (जिसे इसके बाद ''एक्ट'' कहा जाएगा) के चैप्टर III के सेक्शन 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया था, जो हमारे नागौर ऑफिस, पहली मंजिल विजय टावर, पुराने सरकारी अस्पताल के सामने, नागौर राजस्थान-341301 में स्थित है।। उक्त मांग नोटिस हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से, आप सभी नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों को जारी किया गया था क्योंकि आपके खाते को किश्तों/ब्याज का भुगतान न करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी विषय-वस्तु मूलधन, ब्याज आदि की किश्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक है। बकाया राशि नीचे उल्लेखित है। इसके अलावा, कारणों सहित, हमारा मानना है कि आप डिमांड नोटिस की तामील से बच रहे हैं और इसलिए डिमांड नोटिस का यह प्रकाशन, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत भी आवश्यक है, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इस डिमांड नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को उपरोक्त राशि, अद्यतन ब्याज और शुल्कों सहित अदा करें, अन्यथा पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत सभी या किसी एक या अधिक सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिसमें उधारकर्ताओं और गारंटरों की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा लेना भी शामिल है।

आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत आप पीएनबी एचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया राशि की पूरी राशि केवल सार्वजनिक नीलामी, कोटेशन आमंत्रित करके, जनता से निविदा या निजी संधि द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन की तिथि तक ही प्रस्तुत/भुगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि पीएनबी एचएफएल द्वारा वहन की गई लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया राशि की पूरी राशि सार्वजनिक नीलामी, कोटेशन आमंत्रित करके, जनता से निविदा या निजी संधि द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन से पहले प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उसके बाद आप सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के हकदार नहीं होंगे। **इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत आपको बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से उपरोक्त सुरक्षित आस्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।**

ऋण खाता नंबर शाखा	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम	गारंटर का नाम और पता	संपत्ति(याँ) बंधक	मांग सूचना की तिथि	राशि 0/s तारीख पर मांग नोटिस
NHL/RNAG/ 0723/ 1137334 B.O.: Nagaur	**उधारकर्ता: श्री/श्रीमति शबीरा शबीरा, पत्नी गुलाम जिलानी,** नया दरवाजा, नागौर, नागौर, राजस्थान, भारत, 341001 / पट्टा संख्या 1316, नया दरवाजा के अंदर, घोसीवाड़ा, नागौर, नागौर, राजस्थान, 341001, **सह-उधारकर्ता: श्री/श्रीमति गुलाम जिलानी, पुत्र लाल मोहम्मद** घोसीवाड़ा नया दरवाजा के अंदर, नागौर, नागौर, राजस्थान, भारत, 341001 /कलेक्टर कार्यालय, नागौर, नागौर, राजस्थान, इंचा,341001 / पट्टा नंबर 1316, नया दरवाजा के अंदर, घोसीवाड़ा, नागौर, नागौर, राजस्थान, 341001,	ना	पट्टा संख्या 1316, नया दरवाजा के अंदर, घोसीवाड़ा, नागौर, नागौर, राजस्थान, 341001	09 जनवरी, 2026	रूपये 8,38,628.00 (आठ लाख अड़तीस हज़ार छह सौ अट्ठाईस रुपये मात्र)

स्थान:- नागौर, राजस्थान I तारीख : 24.01.2026 हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पैमाने से आगे बढ़कर गहराई पर फोकस: फ्यूचर ऑफ इम्पैक्ट 3.0 के लिए आवेदन आमंत्रित

नई दिल्ली, 23 जनवरी (वेब वार्ता)। भारत भर में जमीनी स्तर पर कार्यरत गैर-लाभकारी संगठनों के लिए फ्यूचर ऑफ इम्पैक्ट **(FOI)** 3.0 कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह दीर्घकालिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम 25 जनवरी तक आवेदन स्वीकार करेगा।

फ्यूचर ऑफ इम्पैक्ट कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी के बाद हुई थी, जब छोटे और मध्यम आकार के गैर-लाभकारी संगठनों- विशेष रूप से गैर-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं-की संरचनात्मक और संस्थागत कमजोरियां स्पष्ट रूप से सामने आईं। इसके साथ ही, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम **(FCRA)** में हुए संशोधनों और फंडिंग परिदृश्य में आए बदलावों ने इन संगठनों के सामने मौजूद चुनौतियों को और अधिक जटिल बना दिया। यह कार्यक्रम **Atma** द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2021 से 2025 के बीच, **FOI** ने तीन चरणों में देशभर के 100 जमीनी संगठनों के साथ कार्य किया है। कार्यक्रम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इन संगठनों में संगठनात्मक स्पष्टता, दाताओं के साथ संवाद तथा आंतरिक प्रणालियों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। अधिकांश संगठनों ने इस अवधि के दौरान तीन से पांच नई संस्थागत प्रणालियां या क्षमताएं विकसित कीं।

FOI 3.0 कार्यक्रम के पिछले चरणों से प्राप्त सीख पर आधारित है और इसमें पैमाने की बजाय गहराई, निरंतरता और दीर्घकालिक स्थिरता पर विशेष जोर दिया गया है। अगले चार वर्षों में, इस चरण के अंतर्गत 96 गैर-लाभकारी संगठनों को तीन समूहों के माध्यम से शामिल किया जाएगा। प्रत्येक समूह के लिए कार्यक्रम की अवधि 16 माह निर्धारित की गई है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य उन 'कॉमन मिनिमम कैपेसिटीज़' को सुदृढ़ करना है, जिन्हें सामाजिक क्षेत्र में संगठनों की दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता के लिए आवश्यक माना जाता है। इनमें नेतृत्व और शासन, वित्तीय प्रबंधन, फंडरेजिंग एवं संचार, रणनीतिक योजना तथा प्रभाव आकलन जैसी क्षमताएं शामिल हैं। संगठन अपनी विकास अवस्था और स्थानीय संदर्भ के अनुसार प्राथमिक क्षमताओं का चयन कर सकते हैं। **FOI** 3.0 में ऑनलाइन लर्निंग सत्र, एक-से-एक परामर्श, और कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस के माध्यम से सहकर्मी सीख को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के बाद संरचित मेंटरशिप की व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत और समापन के अवसर पर दो प्रत्यक्ष बैठकें आयोजित की जाएंगी। यह कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में कार्यरत जमीनी और ग्रामीण गैर-लाभकारी संगठनों के लिए खुला है, विशेष रूप से उन संस्थाओं के लिए जिन्हें अब तक संरचित संस्थागत विकास सहयोग के सीमित अवसर प्राप्त हुए हैं। **FOI** 3.0 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी है।

डीसीबी बैंक लिमिटेड
ए-सेट हाउस, 7/56, डी.बी. गुप्ता रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली-110005

DCB BANK

कब्ज़ा सूचना

अधोहस्ताक्षरी, डीसीबी बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम (2002 का 54) के अंतर्गत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने नीचे उल्लेखित तिथियों को एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं **(उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता)** से नोटिस में उल्लेखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया है, जिसका विवरण नीचे सारणीबद्ध रूप में दिया गया है, साथ ही उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उस पर लगने वाले ब्याज का भी भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

ऋणकर्ता और सह-ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता, सह-ऋणकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और नियम 8 एवं सुरक्षा हित नियम 2002 की धारा 14(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **19 जनवरी, 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

ऋणकर्ता, विशेष रूप से सह-ऋणकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे संपत्ति (अचल संपत्ति का विवरण) से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि नीचे उल्लिखित है।

ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

मांग नोटिस की तारीख	23-08-2025
कर्ज़दार (ओं) और सह-कर्ज़दार (ओं) का नाम	पार्वती और अनूप कुमार
लोन खाता संख्या	**DBLASIK**00628731
कुल बकाया राशि	**रूपये 5,28,503/-** (पाँच लाख अट्ठाईस हज़ार पाँच सौ तीन रुपये मात्र) 22 अगस्त 2025 तक
अचल संपत्ति का विवरण	सभी टुकड़े और पार्सल पट्टा संख्या 165, वार्ड संख्या 27, हरिजन बस्ती, लक्ष्मणगढ़ सीकर, राजस्थान - 332311 में स्थित भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 163 वर्ग गज है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व की ओर: महावीर का घर, पश्चिम की ओर: सड़क, उत्तर की ओर: महेंद्र, गणेश और शंकर का घर, दक्षिण की ओर: अशोक हरिजन का घर **(सुरक्षित संपत्ति)**

मांग नोटिस की तारीख	23-08-2025
कर्ज़दार (ओं) और सह-कर्ज़दार (ओं) का नाम	श्री नीरज कुमार जाटव और श्रीमती संगीता
लोन खाता संख्या	**DRBLALW**00598244
कुल बकाया राशि	**रूपये 8,22,911/-** (आठ लाख बाईस हजार नौ सौ ग्यारह रुपये मात्र) 23 अगस्त 2025 तक
अचल संपत्ति का विवरण	सभी टुकड़े और पार्सल पट्टा संख्या 1, बही संख्या 65, ग्राम पिलवा, ग्राम पंचायत, भाजेदा, तहसील बहादुरपुर, जिला अलवर, राजस्थान-301028 में स्थित भूखंड, क्षेत्रफल 163.33 वर्ग गज है। और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर की ओर: दया राम जाटव का घर, दक्षिण की ओर: हरनारायण का घर, पूर्व की ओर: सड़क, पश्चिम की ओर: कमला की जमीन **(सुरक्षित संपत्ति)।**

मांग नोटिस की तारीख	18-03-2025
कर्ज़दार (ओं) और सह-कर्ज़दार (ओं) का नाम	श्री रवि कुमार, श्रीमती माया देवी और श्री रवींद्र कुमार सैनी
	DRBLALW00603868
कुल बकाया राशि	**रूपये 6,42,602** (छह लाख बयालीस हजार छह सौ दो रुपये मात्र) दिनांक 19 मार्च 2025 तक
अचल संपत्ति का विवरण	सभी टुकड़े और पार्सल संपत्ति पट्टा संख्या 398, क्षेत्रफल 93.87 वर्ग मीटर, कोटिया पाडी, योजना संख्या 4, जिला- अलवर में स्थित **(सुरक्षित संपत्ति)**

दिनांक: 24.01.2026,
स्थान: सीकर, अलवर

हस्ताक्षर/-
अधिकृत अधिकारी,
डीसीबी बैंक लिमिटेड

VASTU
HOUSING FINANCE

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, ''ए'' विंग, नवभारत एस्टेट,
जकारिया बंदर रोड, सिवड़ी (पश्चिम), मुंबई 400015 महाराष्ट्र
CIN No.: U65922MH2005PLC272501

कब्ज़ा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और धारा 13(12) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 9 के साथ पठित हैं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002, ने एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदारों द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा के प्रभार के अधीन होगा, जिसके अंतर्गत नीचे उल्लेखित राशि तथा उस पर ब्याज, लागत आदि शामिल होगी।

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम और लैन नंबर	मांग सूचना की दिनांक और राशि	संपत्ति का विवरण	दिनांक और प्रकार का स्वामित्व
1.	मिसाराम, सुमित्रा **HL**0000000055339	11/अक्टूबर/25 रुपये 816118 9/अक्टूबर/25 तक	ग्राम सोनेली तहसील जायल, नागौर, जयपुर, राजस्थान में स्थित पट्टा संख्या 81 ग्राम पंचायत सोनेली, पंचायत समिति जायल की आवासीय संपत्ति - 341022, माप: - 1078 वर्ग फीट। उत्तर: रास्ता, दक्षिण: मोटा राम, पूर्व: बंशी राम, पश्चिम: रास्ता	सांकेतिक कब्जा लिया गया 17/01/2026 को
2.	राजूराम, सरिता, पेमा राम **MHL**000000207927	15/अक्टूबर/25 रुपये 564369 15/अक्टूबर/25 तक	बरनगांव पट्टा संख्या 017 पुस्तक संख्या 163 नागौर, माता जी मंदिर के पास, नागौर, नागौर, राजस्थान - 341021, संपत्ति का क्षेत्रफल: 91 वर्ग गज, उत्तर: पपुरम की भूमि, दक्षिण: स्वयं की भूमि, पूर्व: रास्ता, पश्चिम: आम रास्ता	सांकेतिक कब्जा लिया गया 17/01/2026 को

दिनांक : 24.01.2026
स्थान : नागौर, जयपुर

अधिकृत अधिकारी
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

---

pnb Housing
Finance Limited
Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -IV-ए - ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना

ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना ई-नीलामी-वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित)

रजि. कार्यालयः- 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोनः-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः-www.pnbhousing.com

बी.ओ. भिवाड़ीः ए-10, पहली मंजिल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाई पास, भिवाड़ी-301019, राजस्थान,
बी.ओ. पीतमपुराः प्लॉट नंबर डीपी - 4, सचदेवा पब्लिक स्कूल के पास, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(कों) एवं गारंटीकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) जो सुरक्षित ऋणदाता को बंधक रखी गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा (जैसा कॉलम संख्या-सी में वर्णित है) ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार **''जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो भी है के आधार पर''** बेचा जाएगा। एतद्वारा, संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती(ओं) को सूचित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के संशोधित नियम-8(6) और 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.pnbhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियाँ का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (10% का आरपी)(एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मानसिक दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	एनोउन एनकम ब्रैंस कोर्ट केस, यदि कोईहो(के)
एचओयू/बीएचआई/1215/254644 मंजू देवी/मुरारी लाल शर्मा, बी.ओ.:भिवाड़ी	रु. 17,64,156.87 और 20-09-2025	भौतिक कब्जा	टावर-डी, (रूबी) फ्लैट नंबर- आर-507, कृष औरा, खसरा नंबर 518-527, 534-538, 543-551, गांव - सैदपुर, भिवाड़ी, अलवर, वी स्क्वायर मॉल, राजस्थान-301019, भारत।	रु. 15,23,000	रु. 1,52,300	25/02/2026	रु. 10,000.	16-02-2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	26.02.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.00 बजे	ज्ञात नहीं है
एचओयू/पीटीपी/1119/757831 राज कुमार माझी/जेसिका शशांकर, बी.ओ.: पीतमपुरा	रु. 17,45,191.84 और 31-03-2021	भौतिक कब्जा	1503.0,15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56,तहसील तिजारा जिला अलवर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019	रु. 16,19,000	रु. 1,61,900	25/02/2026	रु. 10,000.	16-02-2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	26.02.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.00 बजे	ज्ञात नहीं है

***18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।** 1. आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। **3.** कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। **(4.) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट - www.bankeauctions.com** संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको रवि कुमार / दीपक शाह, टोल फ्री नंबर -1800120 8800, ई-मेल: **auction@pnbhousing.com** के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या **www.pnbhousing.com** देखें।

स्थान:- भिवाड़ी दिनांक:- 23.01.2026 एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेल: yuvrajsinghh@gmail.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08